

प्ररूप तीन
(देखें कंडिका 82)

नजूल भूमि का स्थायी पट्टा (नवीनीकरण)

पक्षकार	1. यह अनुबन्ध आज दिनांक/..... मास /..... सन् 2023 प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) और द्वितीय पक्ष सचिव जैन हाई स्कूल सागर (नाम, पिता/माता/पति का नाम पूर्ण पता ई-मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित यथास्थिति संस्था/कंपनी/राजनैतिक दल आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण दें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहा गया है) के बीच किया जाता है ।
प्रीमियम	चूंकि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार को (क) पूर्ण प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक पर अथवा (ख) प्रीमियम और/या वार्षिक भू-भाटक में निम्नानुसार रियात निम्न कारणों से देते हुए- प्रीमियम.....निरंक..... वार्षिक भू-भाटक निरंक (रियायत के विवरण दें) रियायत के कारणलागू नहीं..... लागू नहीं अथवा (ग) अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति के आधार पर देय परिवर्तन शुल्क..... लागू नहीं (जो लागू न हो, काट दें) एतदपश्चात् वर्णित भूमि पट्टे पर देना मान्य किया है; और चूंकि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम/परिवर्तन शुल्क के रूप में लागू नहीं रुपये (शब्दों में रुपये लागू नहीं) सरकारी खजाने में चालान क्रमांक लागू नहीं दिनांक लागू नहीं तथा पट्टावधि के प्रथम वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के रूप में लागू नहीं रुपये (शब्दों में रुपये लागू नहीं) सरकारी खजाने में चालान क्रमांक लागू नहीं दिनांक लागू नहीं द्वारा संदाय किए हैं, जिसकी कि प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता है, अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार की ओर से की गई प्रसविदाओं के, जो इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट है; प्रतिफलस्वरूप-
पट्टान्तरण	पट्टाकर्ता एतद् द्वारा, पट्टेदार को सागर जिले की सागर तहसील के सागर खास नगर/ग्राम सागर के भीतर स्थित वह संपूर्ण भूमि, जो माप में 118845/11028.48 वर्गफुट/वर्गमीटर या उसके लगभग है और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएँ इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गई हैं और उसमें निरंक रंग से बतलाई गई हैं,
अवधि	इस अनुबन्ध की दिनांक 01 अप्रैल सन् 2024 से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च सन् 2054 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने के हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए पट्टान्तरित करता है,-
सामान्य शर्तें	(1). प्रयोजन- पट्टेदार पट्टान्तरित की गई भूमि का उपयोग उस पर शैक्षणिक प्रयोजन का निर्माण करने तथा उसके अनुसूक्षण करने के प्रयोजनों तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसको या उस पर निर्मित भवनों को या इनके किसी भी भाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न जो उपयोग में लाएगा और न उपयोग में लाए जाने की अनुमति देगा।

Director/Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

(2) भू-भाटक-

(सामान्यतः देय भू-भाटक)

वार्षिक भू-भाटक रुपये - 44110.00 (केवल चवालीस हजार एक सौ दस रुपये), जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार संगणित भू-राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर होगी और जो पट्टावधि के दौरान उक्त नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगा, देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान सरकारी खजाने में जमा करेगा।

अथवा

(अग्रिम अधिपत्य में सौंपी गई भूमि के मामले में)

चूंकि पट्टादाता द्वारा पट्टान्तरित भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक लागू नहीं को पट्टेदार को सौंपा जा चुका है, अतः अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से तत्समय प्रभावशील उपबंधानुसार वार्षिक भू-भाटक लागू नहीं रुपये लागू नहीं (केवल लागू नहीं रुपये) देय होगा जो पट्टावधि अवसान के पश्चात् नवीनीकरण किये जाने की दशा में आगामी वर्ष से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार संगणित भू-राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर देय होगा जो पट्टेदार ऐसी नवीकृत अवधि के पश्चात् प्रारंभ होने वाली आगामी अवधि के प्रारंभ वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान वार्षिक भू-भाटक की राशि का संदाय सरकारी खजाने में जमा करेगा;

नियत अवधि में भू-भाटक की राशि जमा नहीं किये जाने की दशा में पट्टेदार ऐसी बकाया राशि पर देयता की दिनांक से एक वर्ष तक बारह प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर साधारण ब्याज की राशि जमा करायेगा।

अथवा

(रियायती भू-भाटक पर दी गई भूमि के मामले में)

वार्षिक भू-भाटक रुपये लागू नहीं (केवल लागू नहीं रुपये) देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान अथवा पूरी पट्टावधि के लिए एकमुश्त सरकारी खजाने में जमा करेगा।

(जो लागू न हो, काट दें)

(3) कर, आदि- पट्टेदार समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे समस्त कर, प्रभार तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारण का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके/उनके सम्बन्ध में अभिधारी पर इस समय या एतद् पश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए जाएँ।

(4) निर्माण की कालावधि- पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और ऐसी दिनांक से लागू नहीं वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा।

(5) भवन का विनियमन- उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में, पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों, उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन बनाये गये हों, तथा दिए गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत्त हों, अधीन रहेगा।

(6) समुचित अनुरक्षण- पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित है, के उपयोग के योग्य दशा में रखेगा।

(7) व्यापार या कारबार- पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारबार या क्रिया-कलाप, जिसके कि विनियमन के लिये स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय

Director/Secretary

Joint Public Hr. Sec. School

Sagar (M. P.)

	(तीन) पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टा अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र नजूल कार्यालय सागर जिला सागर में प्रस्तुत करेगा।
निर्बाध उपयोग	(11) निर्बाध उपयोग- पट्टाकर्ता यह प्रसंगिदा करता है कि एतद् द्वारा नियमित रूप से भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।
पुनःप्रवेश	परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटय या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नहीं, उस दिनांक के जिसको कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात् एक कैलेण्डर मास तक बकाया या असंदत रहे या यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अपालन करे, तो पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण का या पुनःप्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनःप्रवेश की दिनांक से तीन कैलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों : परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति को प्रयोग में न लाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के अनुक्रम में शमन राशि जैसी कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार, कलेक्टर या प्राधिकृत अपर कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे, तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में लाये ।
नवीकरण	(12) पट्टाकर्ता यह और प्रसंगिदा करता है कि वह एतद् द्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात् भी समय-समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के, जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी, उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा 30 वर्ष (तीस वर्ष) की अवधि के लिये निष्पादित करेगा: परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मन्जूरी के लिये भू-भाटक में तत्समय लागू विधि अनुसार वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से ऐसी शर्तें जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, भी अन्तर्विष्ट की जा सकेंगी: परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा ।
निर्वचन	(13) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गई अभिव्यक्तियों "पट्टाकर्ता" तथा "पट्टेदार" के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से असंगत न हो, पूर्वकथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती यथा समनुदेशिनी और पश्चात् कथित के मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिनी आएँगे।

Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

	कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा। (8) समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण-(क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या इसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप-पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा। (ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।
विशिष्ट शर्तें (9) (क) या (9) (ख) (9) (ग) में से जो लागू न हो, काट दें।	(9) (क) पूर्ण संस्था के मामले में— (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा; (चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लामार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा; और (पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यवसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ख) राजनैतिक दल के मामले में— (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) यदि किसी कारणवश पट्टेदार राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्टित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू-माटक के मददे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और (चार) आवंटित भूमि पर पट्टेदार राजनैतिक दल के द्वारा आवंटित भूमि में से निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ग) पूंजी निवेशकों के मामले में— विभागीय नीति के अनुक्रम में आवंटन मंजूरी आदेश में उल्लेखित शर्तें— (एक) लागू नहीं (दो)लागू नहीं (तीन) लागू नहीं
अतिरिक्त शर्तें	(10) स्वीकृति आदेश में विहित की गई अतिरिक्त शर्तें (यदि कोई हों) (एक) पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि पर नवीन निर्माण किये जाने की स्थिति में नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। (दो) पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि को विक्रय, दानपत्र, हक्याग या अन्य अंतरण करने के पूर्व नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Director Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

अनुसूची

पट्टान्तरित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिला सागर तहसील सागर

नगर सागर सेक्टर खसरा राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर - 1 पटवारी हल्का 85 ग्राम सागर खास खसरा क्रमांक

..... शीट क्रमांक..... ब्लॉक क्रमांक 47 प्लॉट नं. 5, 6, 8, 9/3 उप भूखण्ड क्रमांक

माप कमरा: 53344, 6985, 1540, 58796 कुल माप 118845/1102848 वर्गफुट/वर्गमीटर

नजरी नक्शा

चौहदी - पूर्व में शाली

पश्चिम में खाला

उत्तर में सड़क

दक्षिण में मुल्कम सड़क (बस स्टैंड से गोपल गंज के)

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण-

1. [Signature]
R.M.S
2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर
से कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
कार्यालय की मोहर
दिनांक

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

साक्षीगण-

1. [Signature] इज्जतुल्लाह पिठुवाचंद जी
2. [Signature] प्रिंसिपल को अपना राय देवसी

Director/Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

पट्टेदार के हस्ताक्षर

नाम
पिता का नाम Mull. Hr. Sec. School
पता
दिनांक

प्ररूप तीन
(वेखें कंडिका 82)

नजूल भूमि का स्थायी पदटा (नवीनीकरण)

पक्षकार	1. यह अनुबन्ध आज दिनांक 11/01/23 मास 12 सन् 2023 प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पदटाकर्ता कहा गया है) और द्वितीय पक्ष सचिव जैन हाई स्कूल सागर (नाम, पिता/माता/पति का नाम पूर्ण पता ई-मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित यथास्थिति संस्था/कंपनी/राजनैतिक दल आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण दें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पदटेदार कहा गया है) के बीच किया जाता है।
प्रीमियम	चूंकि पदटाकर्ता ने पदटेदार को (क) पूर्ण प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक पर अथवा (ख) प्रीमियम और/या वार्षिक भू-भाटक में निम्नानुसार रियात निम्न कारणों से देते हुए— प्रीमियम.....निरंक..... वार्षिक भू-भाटक निरंक (रियायत के विवरण दें) रियायत के कारणलागू नहीं.....लागू नहीं अथवा (ग) अस्थायी पदटे को स्थायी पदटे में परिवर्तन की स्वीकृति के आधार पर देय परिवर्तन शुल्क..... लागू नहीं (जो लागू न हो, काट दें) एतदपश्चात् वर्णित भूमि पदटे पर देना मान्य किया है; और चूंकि पदटेदार द्वारा प्रीमियम/परिवर्तन शुल्क के रूप में लागू नहीं रुपये (शब्दों में रुपये लागू नहीं) सरकारी खजाने में चालान क्रमांक लागू नहीं दिनांक लागू नहीं तथा पदटावधि के प्रथम वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के रूप में लागू नहीं रुपये (शब्दों में रुपये लागू नहीं) सरकारी खजाने में चालान क्रमांक लागू नहीं दिनांक लागू नहीं द्वारा संदाय किए हैं, जिसकी कि प्राप्ति को पदटाकर्ता एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता है, अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पदटेदार की ओर से की गई प्रसविदाओं के, जो इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट है; प्रतिफलस्वरूप—
पदटान्तरण	पदटाकर्ता एतद् द्वारा, पदटेदार को सागर जिले की सागर तहसील के सागर खास नगर/ग्राम सागर के भीतर स्थित वह संपूर्ण भूमि, जो माप में 8000/743.49 वर्गफुट/वर्गमीटर या उसके लगभग है और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएँ इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गई हैं और उसमें निरंक रंग से बतलाई गई हैं,
अवधि	इस अनुबन्ध की दिनांक 01 अप्रैल सन् 2024 से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च सन् 2054 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने के हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए पदटान्तरित करता है,—
सामान्य शर्तें	(1) प्रयोजन— पदटेदार पदटान्तरित की गई भूमि का उपयोग उस पर शैक्षणिक प्रयोजन का निर्माण करने तथा उसके अनुरक्षण करने के प्रयोजनों तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसको या उस पर निर्मित भवनों को या उनके किसी भी भाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में लाएगा और न उपयोग में लाए जाने की अनुमति देगा।

Director/Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Saagar (M. P.)

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Saagar (M. P.)

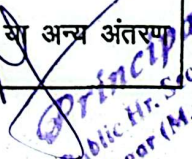
	कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा। (8) समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण-(क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप-पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा। (ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।
विशिष्ट शर्तें	(9) (क) पूर्ण संस्था के मामले में- (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा; (चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लामार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा; और (पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ख) राजनैतिक दल के मामले में- (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) यदि किसी कारणवश पट्टेदार राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्टित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू-भाटक के मददे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और (चार) आवंटित भूमि पर पट्टेदार राजनैतिक दल के द्वारा आवंटित भूमि में से निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ग) पूंजी निवेशकों के मामले में- विभागीय नीति के अनुक्रम में आवंटन मंजूरी आदेश में उल्लेखित शर्तें- (एक) लागू नहीं (दो) लागू नहीं (तीन) लागू नहीं
अतिरिक्त शर्तें	(10) स्वीकृति आदेश में विहित की गई अतिरिक्त शर्तें (यदि कोई हों) (एक) पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि पर नवीन निर्माण किये जाने की स्थिति में नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। (दो) पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि को विक्रय, दानपत्र, हकत्याग या अन्य अंतरण करने के पूर्व नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Director/Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

	कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा। (8) समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण-(क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा; न उप-पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा। (ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।
विशिष्ट शर्तें (9) (क) या (9) (ख) (9) (ग) में से जो लागू न हो, काट दें।	(9) (क) पूर्ण संस्था के मामले में- (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा; (चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लामार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा; और (पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यवसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ख) राजनैतिक दल के मामले में- (एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा; (दो) पट्टेदार राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो; (तीन) यदि किसी कारणवश पट्टेदार राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्टित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू-माटक के मददे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और (चार) आवंटित भूमि पर पट्टेदार राजनैतिक दल के द्वारा आवंटित भूमि में से निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा। (ग) पूंजी निवेशकों के मामले में- विभागीय नीति के अनुक्रम में आवंटन मंजूरी आदेश में उल्लेखित शर्तें- (एक) लागू नहीं (दो)लागू नहीं (तीन) लागू नहीं
अतिरिक्त शर्तें	(10) स्वीकृति आदेश में विहित की गई अतिरिक्त शर्तें (यदि कोई हों) (एक) पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि पर नवीन निर्माण किये जाने की स्थिति में नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। (दो) पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि को विक्रय, दानपत्र, हकत्याग या अन्य अंतरण करने के पूर्व नजूल कार्यालय सागर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


 Director
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)


 Principal
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)

(तीन) पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टा अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीक हेतु आवेदन पत्र नजूल कार्यालय सागर जिला सागर में प्रस्तुत करेगा।

निर्बाध उपयोग

(11) निर्बाध उपयोग— पट्टाकर्ता यह प्रसंविदा करता है कि एतद् द्वारा नियमित रूप से भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।

पुनःप्रवेश

परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटय या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नहीं, उस दिनांक के जिसको कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात् एक कैलेण्डर मास तक बकाया या असंदत रहे या यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अपालन करे, तो पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण का या पुनःप्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनःप्रवेश की दिनांक से तीन कैलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों :

परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति को प्रयोग में न लाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के अनुक्रम में शमन राशि जैसी कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार, कलेक्टर या प्राधिकृत अपर कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे, तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में लाये ।

नवीकरण

(12) पट्टाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि वह एतद् द्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात् भी समय-समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के, जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी, उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा 30 वर्ष (तीस वर्ष) की अवधि के लिये निष्पादित करेगा:

परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मन्जूरी के लिये भू-भाटक में तत्समय लागू विधि अनुसार वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से ऐसी शर्तें जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, भी अन्तर्विष्ट की जा सकेंगी:

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

निर्वचन

(13) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गई अभिव्यक्तियों "पट्टाकर्ता" तथा "पट्टेदार" के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से असंगत न हो, पूर्वकथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती यथा समनुदेशित और पश्चात् कथित के मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशित आरगे ।

Director/Secretary
Public Hr. Sec. School
Saagar (M. P.)

Principal
Public Hr. Sec. School
Saagar (M. P.)

अनुसूची

पट्टान्तरित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिला सागर तहसील सागर

नगर सागर सेक्टर राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर - 1 पटवारी हल्का 85 ग्राम सागर खास खसरा क्रमांक

..... शीट क्रमांक ब्लाक क्रमांक 47 प्लॉट नं. 9/5 उप भूखण्ड क्रमांक X

माप 8000/743.49 वर्गफुट/वर्गमीटर

नजरी नक्शा

चौहदी - पूर्व में जैन धर्मिक की भूमि
पश्चिम में जैन धर्मिक की भूमि
उत्तर में जैन धर्मिक की भूमि
दक्षिण में भूखण्ड (बसटैंड के गेपलैंड के)

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण-

1. [Signature]
2. [Signature]

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर
से कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम
(विक्रम आर्य)
पदनाम
कार्यालय की मोहताब्दी
दिनांक

साक्षीगण-

1. [Signature] उत्तरीय जैन धर्मिक की भूमि
2. [Signature] निम्नलिखित रूपान्तरण निवेदन

पट्टेदार के हस्ताक्षर

नाम
पिता का नाम
पता
दिनांक

[Signature]
Director/Secretary
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

[Signature]
Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)